>

Title: Need to give full salary to the private school's teachers in Uttar Pradesh.

श्रीमती अन्नू टण्डन : आज हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि करीब 5000 प्रशिक्षित कार्यरत शिक्षक, जो उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत हैं, के वेतन का मुद्दा है। शिक्षा का अधिनियम, 2009 के अनुसार हमारे देश में 14 वर्ष से बड़े बच्चों को प्राथमिक व जूनियर स्तर की शिक्षा देना केंद्र एवं प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। हर बच्चे का मौलिक अधिकार बगैर शिक्षकों के पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इन शिक्षकों की बात कर रही हूं, जो बिना शिक्षकों के ही यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर अपने जिले की बात कहना चाहती हूं। एक दिसम्बर, 2006 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1000 जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में लेने का निर्णय लिया था। इस सूची में मेरे संसदीय क्षेत्र के भी करीब 14 विद्यालय शामिल किए गए। इस निर्णय का स्वागत तो हुआ, परन्तु आज छः वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के लगभग 5000 शिक्षकों को जूनियर वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान कई शिक्षक रिटायर हो गए हैं, कुछ भगवान के पास चले गए हैं और उनके परिवार टूट गए हैं। मेरे जिले उन्नाव के केवल 11 शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और 85 ऐसे शिक्षक हैं, जिनको छः वर्ष बाद भी वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। यही हाल मैं समझती हूं कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी होगा। उनमें से कई शिक्षक अपनी संस्थाओं में 15-20 वर्षों से प्रशिक्षित नियुक्ति के बाद भी सेवारत हैं, उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से केंद्र एवं प्रदेश सरकार से यह मांग है कि कम से कम आज के दिन इस बात को महत्व दें और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करके सहायता प्राप्त निजी स्कूल अध्यापकों को लम्बित वेतन दिया जाए और उनको मुख्यधारा में शामिल करके बच्चों के लिए आगे भविष्य सुनिश्चित किया जाए।

महोदया, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, मैं श्रीमती अन्नू टण्डन जी द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।